Drishti IAS

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

अक्तूबर (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

छत्तीसगढ़

- केंद्र ने छत्तीसगढ़ की सड़कों के लिये 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किये 3
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 3
- छत्तीसगढ़ DMF घोटाला 4
- छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिये DA बढ़ोतरी की घोषणा की 5
- प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों का उद्घाटन किया 6
- कैबिनेट ने स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण दोगुना किया 8

नोट :

छत्तीसगढ़

केंद्र ने छत्तीसगढ़ की सड़कों के लिये 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किये

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री** ने छत्तीसगढ़ में सड़क अवसंरचना के विकास हेतु **11,000 करोड़ रुपए** मंज़ूर किये।

मुख्य बिंदु

- **परियोजना विवरण:**
  - **यह धनराशि चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों** के निर्माण और विकास में सहायता करेगी।
  - अनुमोदित परियोजनाओं की कुल लंबाई **236.1 किमी. है** ।
  - **स्वीकृत प्रमुख परियोजनाएँ:**
    - उरगा-कटघोरा बाईपास (NH-149 B)
    - बसना से सारंगढ़ फीडर मार्ग
    - सारंगढ़ से रायगढ़ फीडर मार्ग
    - रायपुर-लखनादौन आर्थिक गलियारा
- **अन्य अनुमोदन:**
  - **केंद्रीय सड़क निधि (CRF)** के तहत **908 करोड़ रुपए** की **आठ परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई।**
  - केशकाल घाट और **धमतरी-जगदलपुर मार्ग के फोरलेन चौड़ीकरण** को मंज़ूरी।
  - **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)** के अंतर्गत **रायपुर-विशाखापत्तनम मार्ग** और **बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग का निर्माण कार्य** निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये गए।

केंद्रीय सड़क निधि

- **केंद्रीय सड़क निधि (CRF) केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000** के तहत बनाई गई एक गैर-समाप्ति योग्य निधि है ।
- **इसकी प्राप्ति केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की खपत पर लगाए गए उपकर/कर** से की जाती है ।
- CRF का उपयोग **राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य सड़कों (जिनका अंतर-राज्यीय संपर्क के साथ आर्थिक महत्व है), ग्रामीण सड़कों, रेलवे अंडर/ओवर ब्रिज आदि और राष्ट्रीय जलमार्गों (केवल वर्ष 2017 के बाद के जलमार्ग) के विकास और रखरखाव के लिये किया जाना चाहिये।**
- **2018-19 के केंद्रीय बजट में प्रस्तुत किये गए संशोधनों के माध्यम से CRF** को **केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा निधि (CRIF) से प्रतिस्थापित किया गया ।**

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना, 2024 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है जिसका उद्देश्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ऋण प्रदान करना है।

नोट :

मुख्य बिंदु

- **उद्देश्य:** आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से माओवाद प्रभावित ज़िलों के छात्रों को **1%** की ब्याज दर पर **4 लाख रुपए** तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान करना।
- **लक्षित लाभार्थी:** छत्तीसगढ़ के **2 लाख से अधिक छात्र,** विशेषकर वे जो वित्तीय अस्थिरता से प्रभावित हैं और **नक्सल गतिविधियों** से प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं ।
- **पात्रता मापदंड:**
  - **निवास:** आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिये।
  - **आय सीमा:** परिवार की वार्षिक आय **2 लाख रुपए** से अधिक नहीं होनी चाहिये।
  - **पाठ्यक्रम आवश्यकताएँ:** छात्रों को AICTE अथवा UGC जैसे प्रासंगिक प्राधिकरणों द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी क्षेत्रों में डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में नामांकित होना चाहिये।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education- AICTE)

- **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)** एक सांविधिक निकाय है, और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की परिषद है।
- इसकी स्थापना नवंबर 1945 में एक राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC)

- यह 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और **विश्वविद्यालय शिक्षा** में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिये वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक निकाय बन गया।
- यह फर्जी विश्वविद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों, मानद विश्वविद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की मान्यता को भी नियंत्रित करता है।
- UGC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

छत्तीसगढ़ DMF घोटाला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate- ED)** ने **ज़िला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation- DMF)** घोटाले के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है।

मुख्य बिंदु

- **DMF घोटाले की जाँच:**
  - प्रवर्तन निदेशालय (ED) **ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF)** के व्यापक दुरुपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसका उद्देश्य खनन गतिविधियों से प्रभावित समुदायों को लाभ पहुँचाना है।
- **ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF):**
  - DMF एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट है जिसकी स्थापना खनन कार्यों से प्रभावित लोगों के हित और लाभ के लिये काम करने के लिये की गई है।
  - खनन कंपनियों से प्राप्त रॉयल्टी के एक प्रतिशत से वित्त पोषित DMF का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विकास करना तथा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका सहायता प्रदान करना है।

- **प्रवर्तन निदेशालय (ED):**
  - **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो आर्थिक अपराधों, विशेष रूप से **धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act- PMLA), 2002** के तहत धन शोधन से संबंधित कानूनों की जाँच और प्रवर्तन के लिये ज़िम्मेदार है।
  - यह वित्तीय अपराधों और भ्रष्टाचार की जाँच में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि DMF घोटाले की वर्तमान जाँच।

ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) योजना

- **परिचय:**
  - **खान एवं खनिज विकास विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2015** के अनुसार, खनन-संबंधी कार्यों से प्रभावित प्रत्येक ज़िले में, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में एक ट्रस्ट की स्थापना करेगी, जिसे ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) कहा जाएगा।
- **DMF फंड:**
  - प्रत्येक खनन पट्टाधारक को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार, रॉयल्टी का एक-तिहाई हिस्सा ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) में जमा कराना आवश्यक है।
  - इस निधि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के कल्याण के लिये किया जाएगा।
- **उद्देश्य:**
  - इस योगदान के पीछे विचार यह है कि स्थानीय खनन प्रभावित समुदायों, जिनमें से अधिकांश आदिवासी हैं और जो देश के सबसे गरीब समुदायों में से हैं, को भी अपने निवास स्थान से निकाले गए प्राकृतिक संसाधनों से लाभ उठाने का अधिकार है।
- **कार्य:**
  - DMF ट्रस्टों की कार्यप्रणाली और राज्यों के DMF नियमों द्वारा शासित निधि उपयोग में केंद्रीय दिशानिर्देश, **प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)** के अधिदेश शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिये DA बढ़ोतरी की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने **दिवाली** से पहले अपने कर्मचारियों के लिये **महँगाई भत्ते (DA)** में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

- **महँगाई भत्ते में बढ़ोतरी का विवरण :**
  - छत्तीसगढ़ सरकार ने **महँगाई भत्ते में 4% की वृद्धि** की, जिससे राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिला।
  - इससे कुल **महँगाई भत्ता मूल वेतन का 42% हो गया है,** जो **सातवें वेतन आयोग** की सिफारिशों के अनुरूप है।
- **महँगाई भत्ता (DA):**
  - यह महँगाई को संतुलित करने के लिये जीवन-यापन की लागत का समायोजन है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रदान किया जाता है। इसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
- **अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:**
  - **उपभोक्ता व्यय में वृद्धि:** इस वृद्धि से प्रयोज्य आय में वृद्धि होती है, विशेष रूप से त्योहारों के समय, जिससे उपभोक्ता मांग में वृद्धि होती है।
  - **मुद्रास्फीति नियंत्रण:** DA कर्मचारियों को मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने में सहायता करता है, लेकिन यदि आपूर्ति में वृद्धि नहीं होती है तो मांग में वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

नोट :

- **राजकोषीय दबाव:** सरकार के लिये, महँगाई भत्ते में वृद्धि से व्यय में वृद्धि होती है, जो राजकोषीय बजट पर दबाव डाल सकती है, लेकिन उपभोग के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।

वेतन आयोग

- **वेतन आयोग केंद्र सरकार** द्वारा गठित एक निकाय है जो **कर्मचारियों के वेतन ढाँचे की** समीक्षा करता है तथा उसमें परिवर्तन की अनुशंसा करता है ।
- वेतन आयोग का गठन **व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) के अंतर्गत आता है।**
- वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 वर्ष में किया जाता है और पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था। आज़ादी के बाद से अब तक कुल **सात वेतन आयोग** गठित किये जा चुके हैं।
- नवीनतम **वेतन आयोग 2014 में स्थापित किया गया था** और इसकी अनुशंसा 2016 में लागू हुई। वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को **7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वेतन मिलता है।**
- **सरकार के लिये वेतन आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं** है। सरकार अनुशंसाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकती है।

प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधान मंत्री ने **तीन नए हवाई अड्डों का वर्चुअल माध्यम द्वारा उद्घाटन किया** जो सरगुजा (छत्तीसगढ़), रीवा (मध्य प्रदेश) और सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं।

- इन हवाई अड्डों का विकास **क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)- उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत किया गया है**, जिसका उद्देश्य भारत भर में दूरदराज़ और कम हवाई सेवा वाले क्षेत्रों में हवाई संपर्क को बढ़ाना है।

मुख्य बिंदु

- इसका उद्घाटन वाराणसी से वर्चुअल माध्यम द्वारा हुआ, जो **भारत की राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति (NCAP) की 8 वीं वर्षगाँठ** का अवसर है, जिसे 21 अक्तूबर, 2016 को लॉन्च किया गया था।
- **अंबिकापुर हवाई अड्डा (सरगुजा, छत्तीसगढ़):**
  - इस हवाई अड्डे से उड़ानें रायपुर, जगदलपुर, जबलपुर, कोलकाता और दिल्ली जैसे प्रमुख स्थलों से जुड़ेंगी, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
  - यह उद्घाटन राज्य के **आदिवासी समुदायों और दूरदराज़ के क्षेत्रों को मुख्यधारा के विकास ढाँचे में एकीकृत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।**
- **रीवा हवाई अड्डा (मध्य प्रदेश):**
  - नया रीवा हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में छठा **नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA)** लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा है, जिसे **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)** द्वारा विकसित किया गया है।
  - इस हवाई अड्डे से **राज्य के विंध्य क्षेत्र** में कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
- **सहारनपुर हवाई अड्डा (उत्तर प्रदेश):**
  - सहारनपुर के नागरिक हवाई अड्डे के पास रनवे नहीं है, लेकिन अब यह परिचालन के लिये तैयार है।
  - स्थानीय प्रशासन उड़ान परिचालन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने पर कार्य कर रहा है, जिसके शीघ्र ही शुरू होने की आशा है, जिससे **क्षेत्र में आर्थिक विकास और यात्रा सुविधा को बढ़ावा मिलेगा।**
- **RCS-उड़ान (UDAN):**
  - इसे **2016 में NCAP के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य** विशेष रूप से भारत के दूरदराज़ और वंचित क्षेत्रों में हवाई यात्रा के बुनियादी ढाँचे में सुधार करना था।
    - योजना की शुरूआत के बाद से, पहली उड़ान 27 अप्रैल, 2017 को शिमला से दिल्ली को जोड़ते हुए **शुरू हुई।**

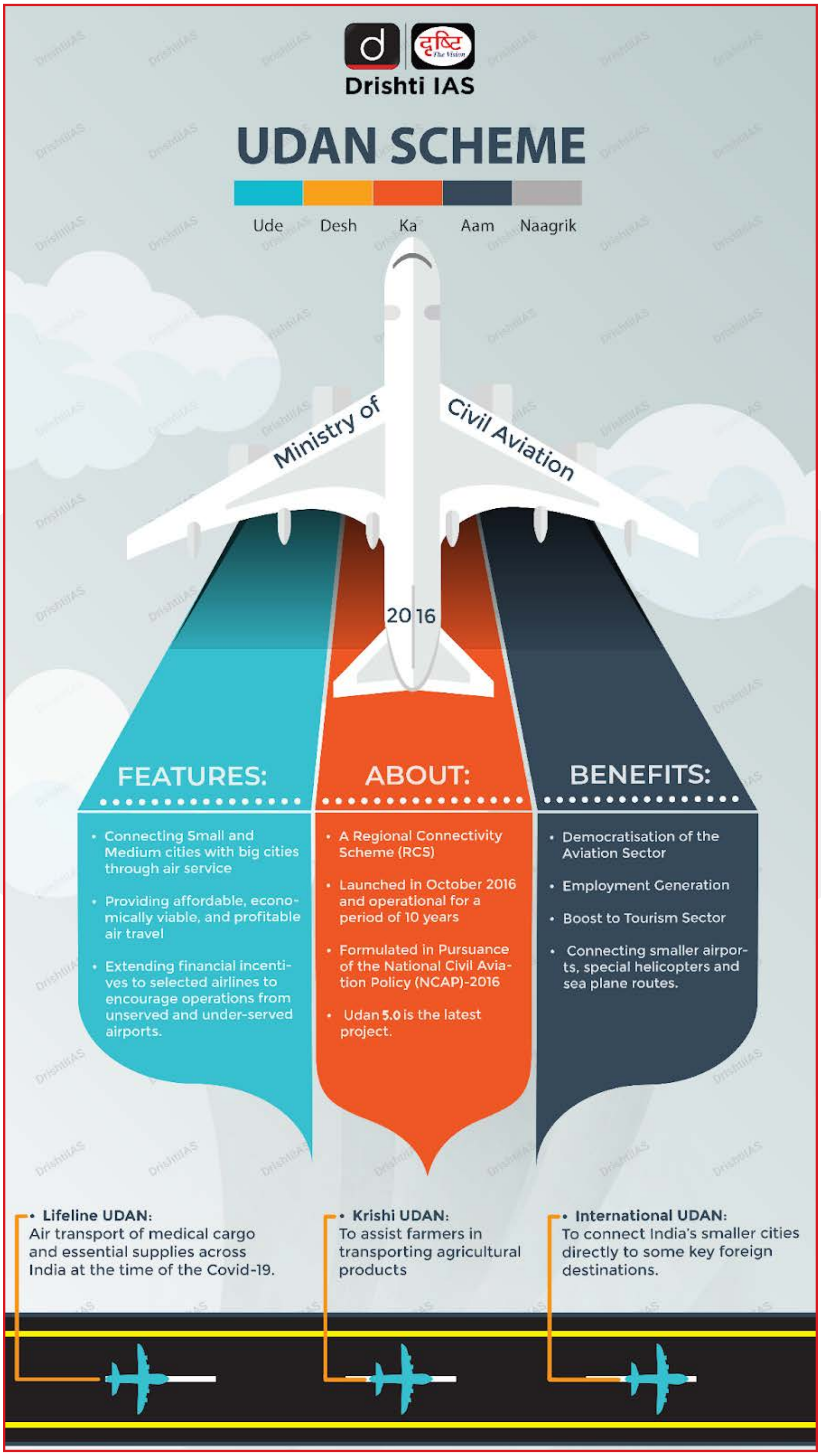

Drishti IAS
UDAN SCHEME
Ude Desh Ka Aam Naagrik
Ministry of Civil Aviation
2016
FEATURES:
• Connecting Small and Medium cities with big cities through air service
• Providing affordable, economically viable, and profitable air travel
• Extending financial incentives to selected airlines to encourage operations from unserved and under-served airports.
ABOUT:
• A Regional Connectivity Scheme (RCS)
• Launched in October 2016 and operational for a period of 10 years
• Formulated in Pursuance of the National Civil Aviation Policy (NCAP)-2016
• Udan 5.0 is the latest project.
BENEFITS:
• Democratisation of the Aviation Sector
• Employment Generation
• Boost to Tourism Sector
• Connecting smaller airports, special helicopters and sea plane routes.
• Lifeline UDAN: Air transport of medical cargo and essential supplies across India at the time of the Covid-19.
• Krishi UDAN: To assist farmers in transporting agricultural products
• International UDAN: To connect India's smaller cities directly to some key foreign destinations.

- पिछले कुछ वर्षों में उड़ान योजना के कई संस्करण (**उड़ान 1.0 से 5.4**) क्रियान्वित किये गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे अधिक हवाई अड्डों को शामिल करना, हेलीपैडों को जोड़ना, पर्यटन मार्गों को एकीकृत करना तथा पहाड़ी इलाकों और दूरदराज़ के स्थानों जैसी क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करना।

- **उड़ान योजना के मुख्य संस्करण:**
  - **उड़ान 1.0:** 70 हवाई अड्डों के लिये 128 मार्ग आवंटित किये गए, 36 नए हवाई अड्डे शुरू किये गए।
  - **उड़ान 2.0:** 73 नये हवाई अड्डे शुरू किये गये तथा हेलीपैड कनेक्टिविटी भी शामिल की गयी।
  - **उड़ान 3.0:** इसमें पर्यटन मार्गों और सीप्लेन कनेक्टिविटी को शामिल किया गया, जिसमें **पूर्वोत्तर क्षेत्र** पर विशेष जोर दिया गया।
  - **उड़ान 4.0:** पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों में कनेक्टिविटी सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया गया। हेलीकॉप्टर और सीप्लेन परिचालन को भी जोड़ा गया।
  - **उड़ान 5.0 से 5.4:** बड़े विमानों के लिये उन्नत मार्ग, दूरी संबंधी प्रतिबंध हटाए गए तथा त्वरित परिचालन को प्राथमिकता दी गई।
- नवीनतम संस्करणों में हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी, छोटे विमानों के लिये परिचालन समुत्थानशीलता और बंद हो चुके मार्गों को पुनः खोलने पर ज़ोर दिया गया है।

नोट:

NCAP: इसमें **एक सतत् विमानन ढाँचा विकसित करने** का लक्ष्य शामिल है जो वैकल्पिक ईंधन, ऊर्जा-कुशल विमान और बुनियादी ढाँचे के उपयोग को बढ़ावा देता है

कैबिनेट ने स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण दोगुना किया

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य भर में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से **OBC आरक्षण** में वृद्धि की है।
- **प्रमुख OBC आरक्षण में वृद्धि:**
  - सरकार ने पंचायत और शहरी निकायों में OBC आरक्षण को **25% से बढ़ाकर 50%** कर दिया है, जिसमें ज़िला **पंचायत** अध्यक्ष और **नगर निगम महापौर** जैसी भूमिकाएँ शामिल हैं, जबकि यह सुनिश्चित किया गया है कि आरक्षण जनसंख्या अनुपात के अनुरूप हो।
- **बहिष्करण की शर्तें:**
  - **यह आरक्षण 50%** या उससे अधिक **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण** वाले निकायों पर लागू नहीं होता है।

भारत में आरक्षण को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान

- भाग XVI केन्द्रीय एवं राज्य विधानमंडलों में **अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों** के आरक्षण से संबंधित है ।
- संविधान के **अनुच्छेद 15(4) और 16(4)** राज्य और केंद्र सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिये सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने का अधिकार देते हैं।
- संविधान (**77वाँ संशोधन) अधिनियम,** 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया तथा **अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (4A) जोड़ा गया,** ताकि सरकार पदोन्नति में आरक्षण प्रदान कर सके।
- बाद में, आरक्षण देकर पदोन्नत **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति** के उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिये **संविधान (85वें संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा खंड (4A) को संशोधित** किया गया।
- संविधान के **81वें संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा अनुच्छेद** 16 (4B) को शामिल किया गया, जो राज्य को किसी वर्ष में अनुसूचित

नोट :

जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों को अगले वर्ष भरने का अधिकार देता है, जिससे उस वर्ष की कुल रिक्तियों पर पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा समाप्त हो जाती है।

- **अनुच्छेद 330 और 332** क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व का प्रावधान करते हैं।
- **अनुच्छेद 243D** प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 233T** प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **संविधान के अनुच्छेद 335** में कहा गया है कि प्रशासन की प्रभावकारिता बनाए रखने के लिये अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार किया जाएगा।

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि The Vision

नोट :